संख्या-29018/11/2000-अ॰भा॰से॰ (II)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 26, 2000

सेवा में,

1. सभी राज्य-सरकारों और संघ-राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
2. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

विषयः- केन्द्र-सरकार के कर्मचारियों के बीच छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन - वित्त-मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों की अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में व्यवहार्यता

महोदय,

मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि केन्द्र-सरकार के कर्मचारियों के बीच छोटे परिवार को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रोत्साहन की स्वीकृति के बारे में वित्त-मंत्रालय, व्यय-विभाग ने अपने दिनांक दिसम्बर 04, 1979 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 07(39)-ई॰ III/79 के द्वारा अनुदेश जारी किए थे । बाद में, राज्य-सरकारों के परामर्श से, हमारे दिनांक फरवरी 17, 1984 के पत्र संख्या-11030/22/79-अ॰भा॰से॰ (II) (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वित्त-मंत्रालय के दिनांक 04॰12॰79 के कार्यालय-ज्ञापन में निहित प्रावधान और उनमें समय-समय पर किए गए बदलाव अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर भी लागू होंगे ।

2. पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद वित्त-मंत्रालय, व्यय-विभाग ने इस बारे में अपने दिनांक जुलाई 06, 1999 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-06(39)/98-आई॰सी॰-II के द्वारा अब संशोधित अनुदेश जारी कर दिए हैं । उपर्युक्त संशोधित अनुदेशों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एक जनवरी, 1996 से पहले अपना बन्ध्यकरण (नसबंदी) करवा चुके तथा संशोधन पूर्व के वेतनमान में वेतन ले रहे, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन के रूप में देय विशेष वेतन-वृद्धि संशोधित करके उन्हें उनके संशोधित वेतनमान में पिछली दर पर देय वेतन-वृद्धि के बराबर कर दी जाए । उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन में कुछ और संबद्ध स्पष्टीकरण भी हैं, जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

3. ऊपर संदर्भित हमारे दिनांक फरवरी 17, 1984 के पत्र द्वारा संप्रेषित निर्णय के मद्देनजर, इस बारे में वित्त-मंत्रालय के दिनांक जुलाई 06, 1999 के कार्यालय-ज्ञापन में किए गए संशोधित प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के मामलों में भी इस बात पर कोई भी ध्यान दिए बिना पूरी तरह लागू होंगे कि वे किसी राज्य-सरकार में कार्य कर रहे हैं अथवा केन्द्र-सरकार में कार्य कर रहे हैं । इस बारे में वित्त-मंत्रालय द्वारा बाद में, समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश भी उन पर लागू होंगे ।

4. अनुरोध है कि कृपया इसे सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में ला दें । कृपया इससे संबद्ध मामलों की तद्नुसार जाँच-पड़ताल करें ।

भवदीय,

(यश पाल ढींगड़ा)
भारत-सरकार के अवर सचिव

10-10 प्रतियाँ निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. गृह-मंत्रालय, संघ-राज्य-क्षेत्र (यू.टी. अनुभाग ।
2. गृह-मंत्रालय, पुलिस-प्रभाग ।
3. पर्यावरण और वन-मंत्रालय (भा.व.से. अनुभाग) ।

100 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

(यश पाल ढींगड़ा)
भारत-सरकार के अवर सचिव